

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू


(पीठासीन अधिकारी :- श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

कदमा नं. : 233/2021

मंगलचंद वगै० बनाम तहसीलदार

वादीगण की ओर से एडवोकेट कुलदीप सिंह बुगालिया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 01.07.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम दौरासर तहसील व जिला झुन्झुनू के हाल भूमि हाल खसरा नं. 1028 रकबा 0.03 है०, खसरा नं. 1029 रकबा 0.93 है० व खसरा नं. 1030 रकबा 0.97 है० किता 3 का कुल रकबा 1.93 है० कृषि भूमि में वादीगण को प्रत्येक को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी, पंजियन शुल्क व प्रतिलिपि शुल्क उपपंजियक के माध्यम से राजकोष में जमा करवाया जाकर वादीगण का नाम उनके घोषित हक हिस्से के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व रिकॉर्ड से बिजली देवी का नाम हजफ करे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

पर्या डिक्री आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।



हवाई सिंह यादव
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
(राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
योग	3	योग	

हवाई सिंह यादव
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
(राज.)